

मुख्य अभियंता (दक्षिण) का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक-भवन/मु०अभि०(द०)स्था०विविध पत्राचार-14/2016.....84430पटना,दिनांक-...16/8/16.

प्रेषक,

सुनील कुमार
मुख्य अभियंता (दक्षिण)

सेवा में,

सभी अधीक्षण अभियंता (द०), बिहार
~~भवन निर्माण विभाग,~~
सभी कार्यपालक अभियंता (द०) बिहार
भवन निर्माण विभाग।

विषय:- समुह "घ" के इसे कर्मी जो लिपिक के पद पर नियुक्ति की अदत्ता रखते हो उन्हें बिना किसी परीक्षा के वरीयता क्रम में लिपिक संवर्ग में प्रोन्नत कर नियुक्ति के संबंध में।

प्रसंग:- सरकार के उप सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-7544 (भ) दिनांक-05.08.16 एवं सह पठित ज्ञापांक-7544 दिनांक-05.08.16

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेशित किया जाता है कि पत्र में दिये गये निदेश के आलोक में समुह "घ" के वैसी कर्मी जो लिपिक के पद पर नियुक्ति की अदत्ता रखते हो, उन्हें वरीयता सह योग्यता के आधार पर लिपिक संवर्ग में प्रोन्नत कर नियुक्ति की कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

अनु०-यथोक्ता।

विश्वासभाजन

(सुनील कुमार)

मुख्य अभियंता (दक्षिण)

16/8/16

NET

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

जनक राम,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

स्मार पत्र
FAX/E-mail

सभी अधीक्षण अभियन्ता,
निदेशक अनुश्रवण-सह-मृत्यांकन कोषांग,
भवन निर्माण विभाग।

पटना, दिनांक:- 5.8.16

विषय:- समुह 'घ' के वैसे कर्मी जो लिपिक के पद पर नियुक्ति की अहर्ता रखते हो उन्हें बिना किसी परीक्षा के वरीयता क्रम में लिपिक संवर्ग में प्रोन्नत कर नियुक्ति के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-5886 दिनांक 21.06.2016

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्रांक-5886 दिनांक 21.06.2016 का कृपया निदेश किया जाय। जिसके द्वारा समुह 'घ' के ऐसे कर्मी जो लिपिक के पद पर नियुक्ति की अहर्ता रखते हो उन्हें वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर लिपिक संवर्ग में प्रोन्नत कर एक माह में नियुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में कई कर्मचारी संगठनों के द्वारा विभाग में ज्वलन्त मुदा बनाकर दवाव बनाया जा रहा है। जबकि आपके स्तर से इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि विभागीय अधिसूचना सं0-6214 दिनांक 11.06.2014 द्वारा अधिसूचित "बिहार भवन निर्माण विभाग लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली 2014" के आलोक में अंचलीय स्तर पर प्रोन्नति समिति का गठन कर समिति की बैठक में सम्बंधित कर्मियों के सम्बंध में निर्णय लैते हुए विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के लिए भेजा जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन,

7.8.16
(जनक राम)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:- 7544 (अ)

पटना, दिनांक:- 5-8-16

प्रतिलिपि:- सभी मुख्य अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग, पटना के परिक्षेत्राधीन को सूत्रनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।